

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

दिनांक - 04/09/24

क्रमांक रीडर/2024/5277

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 नवलाराम 2 नानगाराम 3
पूनमाराम 4 नैनाराम
पिसरान वेहनाराम जाति
जाट निवासी आकल
तहसील बाड़मेर ग्रामीण व
जिला बाड़मेर।


1 तगाराम पुत्र रूपाराम 2 अणदाराम 3 निम्बाराम
पिसरान पूनमाराम 4 चेनाराम पुत्र पावूराम 5 रावताराम
पुत्र रामजीराम 6 गोरधनराम उर्फ गोधूराम पुत्र भीखाराम
निवासी आकल तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 102/2024

दिनांक- 27.08.24

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा आकल पटवार हल्का सरणू तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर
के खेत खसरा संख्या 428/232 रकबा 1.1817 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित
करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त
नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए
एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व
विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में
नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित
की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 04/09/24

क्रमांक :- रीडर/2024/5278-82

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सरणू तला तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण नवलाराम पुत्र वेहनाराम वगैराह जाति जाट निवासी आकल तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण तगाराम पुत्र रूपाराम वगैराह निवासी आकल तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर